Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2008/00006

(1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)

सरकार बनाम केसाबाई

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 175 R.T.Act 1955 नं. 05 सन् 2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/2/21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित है। बहस विद्वान अधिवक्तागण अप्रार्थीगण व पेशकार सरकार सुनी गई। दौराने बहस पेशकार सरकार द्वारा कथन किये कि प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दि० 13.3.2013 के द्वारा मियाद सहित दोनों पक्षकों साक्ष्य सहित सुनवाई का अवसर देते हुये निर्णय पारित किया जाना है। प्रकरण वर्णित भूमि का विक्रेता खातेदार S.C. वर्ग की थी क्रेता O.B.C. वर्ग का थी इस प्रकार बेचान में धारा 42 का उल्लंघन है। डाटकालाल की जाति निसंदेह राव है, जो उसकी सबसे पुरानी जमाबंदी में भूमि आवंटन हुई थी उसमें भी जाति भी राव है। इनके द्वारा भिन्न भिन्न जातियों का आश्रय लेकर भूमि क्रय की गई थी जबकि इनकी जाति राव ही है, जो राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित थी	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

क्रमशः 2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (2)	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण में आज पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि विक्रय अवैध दर्ज करने का एवं भूमि को कब्जा राज्य लिये जाने का आदेश फरमाया जावें। अप्रार्थी नं. 1 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है, कि कैलाबाई विधवा महिला है, जिसके द्वारा मजबूरी में भूमि बेचान की गई है। क्रेता द्वारा अपनी जाति को रावत दर्ज करवा रखी। R.A.A. न्यायालय द्वारा भी क्रेता के रावत जाति का ही माना है रावत O.B.C. में आते हैं। इनके द्वारा जो S.C. के प्रमाण पत्र बनवाये हैं, उनके लिये क्रेता के परिवार पर धारा 420 I.P.C. के मुकदमे दर्ज हैं खुद तहसीलदार लाडपुरा द्वारा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। इनके द्वारा S.C. के प्रमाण पत्र जो प्रस्तुत किये हैं वह झूठे हैं इनके अपरान्त अप्रार्थी नं. 2 के मौखिक साक्ष्य मान्य ही नहीं है। विधवा महिला द्वारा अपनी मजबूरी में बेचान किया है, भले ही धारा 42 का उल्लंघन हो गया है, किन्तु इस भूमि का अप्रार्थी नं. 1 को खातेदार दर्ज किया जाकर कब्जा भी कैलाबाई	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

क्रमशः 3

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (3)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को ही रिखाया जावे।	
	विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी नं. 2 का कथन है, कि 3.4.92 को विधिवत बैनाम हुआ है। दोली को राव वला कर 42 B. का नामलेखन होना अवगत कराया जा रहा है। अप्रार्थी नं. 1 द्वारा विक्रय करना स्वीकार किया है। कब्जा देना व अब हित न होना स्वीकार किया है। 42 B. R.T. Act का कोई vailation नहीं हुआ है।	
	पूर्व में 15.9.09 को निर्णय हुआ। हमारी अपील R.A.A. में खारिज हुई परन्तु रि० 13.3.13 को जो राजस्व मण्डल ने निर्णय दिया उसमें अप्रार्थी नं. 1 ने हमारा समर्थन किया है। अब यहां हमारे खिलाफ है। बोर्ड के निर्देश हैं, कि जाति संबंधी साक्ष्यों के संबंध में कारण सहित विनिश्चय व म्याद संबंधी निर्णय करना है।	
	वकील अप्रार्थी नम्बर 2 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किये कि हमारे द्वारा बनवाये जाति प्रमाण पत्रों पर कोई में मुकदमे जरूर दर्ज हैं, मगर उन्हें निरस्त नहीं किया गया है। अप्रार्थी 2 जाति से रावल हैं, जिसके आधार पर वाद एक 175 चलने योग्य नहीं है।	
	उपखण्ड अधिकारी	क्रमश 04

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (5)	नम्बर व तारीख अहलकार जो हुक्म की तामील में आती
	रिवीजन में पेशकार सरकार का कथन है कि डालूलाल की जाति राव है। उसके भाई की जाति राव है उसके एक बच्चे की जाति राव है, तो बाद में भूमि खरीद कर रजिस्ट्री में जाति बदल-बदल कर लिखवा लेने से इनकी जाति नहीं बदल जायेगी। बाद में इनके द्वारा गलत तरीके से S.C. के प्रमाण पत्र बनवाये गये हैं। आवंटन से लेकर आज तक डालूलाल का नाम भूमि पर राव जाति ही दर्ज है। S.C. के गलत प्रमाण पत्र बाद में बनवाये गये हैं। इनकी असली जाति केता की जाति राव है। विक्रेता S.C. का था। धारा 42 का उल्लंघन हुआ है। प्रा० पत्र स्वीकार किया जावे। बाद बहस हमने पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया। तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा इस आशय का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 175-177 R.T. Act. 1955 पेश किया कि अप्रार्थी नं. 1 कैलाबाई द्वारा अप्रार्थी नम्बर 2 को ग्राम अल्लाई की भूमि खसरा नम्बर 446 (जबा 921)3 का बेचान 3.4.92 को किया गया था। कैलाबाई की जाति चमार है, जबकि डालूलाल की जाति राव है। विक्रेता कैलाबाई अनुसूचित	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

क्रमश - 05

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (5)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाति की है तथा कैलाश राव अनु० जाति का नहीं है धारा 42 का उल्लंघन कर कृषि क्रय की है विक्रयपत्र में जाति तेली लिखा दी है।	
	प्रकरण में प्रा० पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस सम्मन तलब किया। का० मुक० रिकार्ड पर लिये गये। प्रकरण में दिनांक 15.9.2009 को निर्णय पारित किया जाकर प्रकरण वर्णित कृषि को खालसा चक दर्ज करने तथा कृषि का कब्जा राज लेने का आदेश प्रसारित किया गया।	
	उक्त निर्णय दिनांक 15.9.2009 की अपील अपीलार्थी आत्माराम द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या कोटा/32/2010 में निर्णय दिनांक 4.11.2010 पारित किया जाकर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.9.2009 को बहाल रखा गया।	
	अपीलार्थी आत्मालाल द्वारा द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण संख्या OPD/T.A./7214/2010/कोटा में निर्णय दिनांक 13.3.2013 पारित किया जाकर इस न्यायालय का निर्णय दि०	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

क्रमशः 06

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (6)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	15.9.09 एवं माननीय न्यायालय रा.म.अ. द्वारा का निर्णय दिनांक 5.11.10 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश सहित इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया कि " उपरोक्तानुसार प्रसाद सहित आवश्यक तनकियात कायम कर दोनों पक्षों के साक्ष्य सबूत लेकर सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विधि अनुसार कार्यवाही कर पुनः निर्णय पारित करें " पत्रावली माननीय न्यायालय से प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर पुनः सुनवाई आरम्भ की जाकर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय व निर्देशानुसार निम्न तनकियात कायम की। तनकी नं० 1:— आया वादग्रस्त भूमि ग्राम अरलाई अनु० जाति की भूमि है जिसे विक्रय-पत्र दि० 3.4.92 से गैर अनु० जाति के सदस्य को बेचान किया गया है। जो R.T. Act धारा 42 का उल्लंघन है। जिम्मे प्रार्थी तनकी नं० 2:— आया अप्रार्थी/प्रति० नं० 2 जाति से राव है, जो S.C. के अन्तर्गत नहीं आती है। जिम्मे प्रार्थी तनकी नं० 3:— आया प्रार्थी/वादी विवादित भूमि को अपने खाते में दर्ज करवाने तथा अप्रार्थी/प्रति० को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के हकदार है जिम्मे प्रार्थी	

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

क्रमशः 07

हुक्म | हुक्म की तामील में जारी हुए

तनकी नं० 4:— आया अप्रार्थी/प्रति० नं. 2 अनु० भाति के तहत आता है धारा 42 R.T.Act 1955 का उल्लंघन नहीं होने व 175 R.T.Act की कार्यवाही चलने योग्य नहीं है

जिम्मे प्रति. 2

तनकी नं० 5:— आया प्रा० पत्र/वाद अवधि बाधित होने से चलने योग्य नहीं है

जिम्मे प्रति. 2

तनकी नम्बर 6:— आया वादग्रस्त भूमि, अन्य ग्राम दूधियाखेड़ी तथा प्रति० नं० 2 के परिवार के नाम जारी प्रमाण पत्रों में भाति के अन्तर का वाद पर क्या असर है

विधिक

तनकी नम्बर 7:— दादरसी

तनकी कायमी पश्चात पक्षकारान् को अपने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर दिये गये। साक्ष्य अप्रार्थीगण के कायम मुकाम रिकार्ड पर लिया।

अप्रार्थी नम्बर 2 द्वारा प्रा० पत्र 151 C.P.C प्रस्तुत किया जिसे दि. 3.6.15 को खारिज किया गया। प्रकरण में प्रा० पत्र धारा 74-77 साक्ष्य अधिनियम प्रस्तुत होने पर प्रा० पत्र स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा शपथ-पत्र तहसीलदार रामगंजमण्डी, विक्रय पत्र द्वारा केसरबाई बहक अप्रार्थी 2 दि. 3.4.92 प्रदर्श A9, नकल जमाबंदी ग्राम अलाई 2054-57 खाता नं० 15, प्रदर्श-1, रिपोर्ट पटवारी खेड़ाकड़ा दि. 22.10.07 प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी अलाई 2050-53 खाता नं.16 प्रदर्श-2 शपथपत्र मदनलाल प्रदर्श D-2,

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

प्रमाण 08

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (8)
	आदिवासी नकल नक्शा ग्राम आकाई प्रदर्श-4, नकल खसरा गिरदावरी आकाई 2062-65 ख०नं० मि० 4×6 प्रदर्श-5, रिपोर्ट नायब तहसीलदार दिनांक 10.8.09 प्रदर्श-6, नकल जमाबंदी ग्राम आकाई प्रदर्श-8, नकल जमाबंदी ग्राम इन्धियाखेड़ी सं. 2056-59 खाता नं. 35 प्रदर्श-7, छाया प्रति राशनकार्ड ग्राम पं. खेड़ा कड़ा नाम धारक बाबूलाल राव प्रदर्श-DA7, ग्राम पंचायत घाटोली तह. रामगंजमण्डी का प्रमाण पत्र प्रदर्श P3A, राशन कार्ड उदयलाल S/o मोतीलाल राव जारी द्वारा ग्राम पंचायत घाटोली प्रदर्श DA6 शपथपत्र राधेश्याम पुत्र किशोर, शपथपत्र नंदलाल प्रदर्श P1 प्रार्थी 2 द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी द्वारा तहसीलदार लाड़पुरा दि. 22.8.05 प्रदर्श 1A, जाति प्रमाण पत्र जारी द्वारा तहसीलदार लाड़पुरा प्रदर्श 2ए, दि. 7.1.06, जारी दिनांक 24.12.05 जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श 3ए, शपथपत्र उदयलाल S/o मोती, PAN नं० BBVPR2931Q. की प्रति प्रदर्श 5A, रजि० प्रमाण पत्र श्री रावल समाज विकास समिति कोटा क्रमांक/126/कोटा/2012-13 प्रदर्श 6A, संविधान श्री रावल समाज विकास समिति प्रदर्श 7A, जाति प्रमाण पत्र जारी 22.8.05 तहसीलदार लाड़पुरा प्रदर्श-9A, दि. 24.9.09 प्रदर्श 8A, ग्राम किशोरपुरा की जमाबंदी 2071-74 खाता नं. 67 प्रदर्श D10, शपथपत्र धनराम रामप्रसाद, भँवर, जाति प्रमाण पत्र भँवर प्रदर्श 10, प्रदेश रावल समाज का सम्मान पत्र प्रदर्श 2A, सीडी नं० 5100r दि. 12.6.18 प्रदेश रावल समिति प्रदर्श 3A सातवी माता मंदिर की सीडी दि. 16.10.20 प्रदर्श 4A.

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

क्रमशः 09

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (9)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थी सं.1 द्वारा नकल जमाबंदी ग्राम रविपाटेडी तह.रामगंजमंडी सं. 2069-72 खाता नं. 71 प्रदर्श D1, खाता नम्बर 91 प्रदर्श D2, नकल जमाबंदी ग्राम घाटोली 2067-70 खाता नं. 57 प्रदर्श D3, खाता नं०88 प्रदर्श D4, नकल जमाबंदी ग्राम रेवनीखाल तहसील खानपुर 2058-61., नकल जमाबंदी ग्राम ढाणी रेबारियान तह० रामगंजमण्डी 2068-71 खाता नं.30 प्रदर्श D5, ग्राम पंचायत घाटोली का प्रमाण पत्र दि. 2.4.13, छायाप्रति रिपोर्ट पटवारी घाटोली दि० 31.5.2013, राशन कार्ड जारी करने के रजिस्टर की फोटो प्रति ग्राम पंचायत घाटोली, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-7 कोटा के प्रकरण सं० 284/15 के आदेशिका दि. 14.8.15 की प्रति, F.I.R. सं. 190/2015 दि. 23.3.15 थाना नयापुरा कोटा की प्रति, दि. 26.12.14 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कोटा को प्रस्तुत पत्र द्वारा राधेश्याम पुत्र पन्ना गुर्जर की प्रति, बयान राधेश्याम गुर्जर, उदयलाल पुत्र धन्नालाल गुर्जर, रामचंद्र S/o ऊंकार गुर्जर फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी द्वारा S.I. थाना नयापुरा कोटा, आरोपी बलराम S/o उंकारलाल राव, दि. 7.6.15, तफ्तीश कार्यवाही F.I.R. नं. 190/15 धारा 420, 120 B I.P.C. दि. 9.6.15, दि. 8.6.15, रजिस्टर्ड बयनामा द्वारा कमलाबाई बेवा उंकारलाल दि. 23.7.2001, पु. सं.1 जि. सं. 74. पृष्ठ सं. 360, फर्द मिलान ग्राम किशोरपुरा	

उपखण्ड अधि... रामगंजमण्डी

क्रमश 10

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (10)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नकल जमाबंदी ग्राम हथियालेड़ी २०५५-५७ खाता नं० 55-62,	
	प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथन, तथ्य, वांछित अनुतोष, उभयपक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रस्तुत निर्देश आदि पर सम्यक विचार किया। तनकीवार विवेचन अधोलिखितानुसार है।	
	<u>तनकी नम्बर 6 :–</u> प्रकरण में यह तनकी विधिक तनकी है, जिसका विनिश्चय पक्षकारों द्वारा अपने तथ्य रखने पर बहस सुनकर सर्वप्रथम किया जाना होता है। इस कारण इस तनकी का विनिश्चय सर्वप्रथम किया जा रहा है।	
	प्रकरण में अप्रार्थी नम्बर 2 की तीन जातियाँ अंकित है। प्रथम राव, द्वितीय ढोली तथा तृतीय रावल, ।अलग-अलग स्थान से जारी जाति प्रमाण पत्रों, राजस्व अभिलेख एवं रिपोर्ट में अप्रार्थी की जाति भिन्नता दर्ज है।	
	प्रदर्श-3, में मौका रिपोर्ट पटवारी दि: 22/10/07 में जाति राव दर्ज है। रिपोर्ट N.T. चैनपुर दि: 10.8.09 में जाति राव है। प्रदर्श 7 के भाग A to B में जाति राव है। ग्राम पँचायत द्वारा जारी राशन कार्ड ग्राम पं० धारोली में ढाकालाल के पुत्र बाबूलाल की जाति	

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

क्रमशः ।।

राव अंकित है। उक्त प्रदर्श D-A7 है। राजस्व रिकार्ड सं. 2056 से 59 खसरा नम्बर 152, 152 पर डाकालाल की जाति राव दर्ज है। राशनकार्ड प्रदर्श D-A 6 में डाकालाल राव जाति अंकित है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रति 1 की राव जाति का होना जरिये प्रदर्श P3A, अंकित किया हुआ है।

अपलार्थी निवासी गवाह राधेश्याम पुत्र किशोर चमार का कथन है, कि अप्रार्थी डाकालाल की जाति राव है यही कथन जरिये शपथपत्र नन्दलाल, व मदनलाल के है कि डाकालाल की जाति राव है। प्रदर्श P1 जमाबंदी सं. 2056-59 में खाता नम्बर 35 में डाकालाल की जाति राव दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी उधियाखेड़ी 2056-59 खाता नं. 64 में डाकालाल के लगो भाई भूल्या पुत्र मोती की जाति राव दर्ज रिकार्ड है।

ग्राम पंचायत धारोली द्वारा जारी राशन कार्ड में अप्रार्थी नं० 2 डाकालाल के पुत्र बाबूलाल व कालूलाल की जाति राव ही अंकित है। इसी प्रकार राशन कार्ड में जाति बलराम पुत्र डाकालाल की भी राव ही अंकित है।

जमाबंदी सं० 2054-57 ग्राम उधियाखेड़ी खाता सं. 58 पर डाकालाल पुत्र मोती कौम राव गैर खातेदार दर्ज है। वही अकि आज भी डाकालाल के नाम बतौर खातेदार दर्ज है तथा तभी से आज तक उक्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

क्रमशः 12

पर डारकालाल की जाति राव दर्ज चली आ रही है।

इसके उपरान्त डारकालाल द्वारा दो बार भूमि क्रय की है, जिसमें दि० 23.4.1992 को ग्राम आलाई की भूमि खसरा नम्बर 445 रकबा 12/1/2 मै0 लखाराम अप्रार्थी। से क्रय की जिसमें उसके द्वारा अपनी जाति ढोली लिखवाई है। तथा दि० 23.3.2001 को कमलाबाई w/o रामेश्वराम जाति चमार से ग्राम फिरोजपुरा की भूमि ख0 नं0 86 रकबा 12/11/2 में से 1/2 हिस्सा भूमि डारकालाल द्वारा क्रय की गई, उसमें डारकालाल की जाति रावल अंकित करवाई गई है।

जो भूमियाँ अप्रार्थी डारकालाल ने भिन्न भिन्न जाति का सदस्य बनकर खरीद की वह भूमि उसी जाति के रूप में डारकालाल के नाम से दर्ज रिकार्ड हुई। किन्तु प्रकरण जो भूमि भजमें ग्राम में डारकालाल को आवंटन की गई वह दस्तावेज सबसे पुराना राजस्व रिकार्ड है, जिसे किसी प्रकार से आज तक चुनौती नहीं दी गई कि इसमें या उसके भाई के नाम दर्ज भूमि पर भी उसकी जाति गलत दर्ज हो। ग्राम वासियान के बयान में डारकालाल को राव जाति का सदस्य बताया गया है तथा

उपखण्ड अधिकारी

क्रमशः 13

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (13)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उसके पुत्रों के नाम जारी राशन कार्ड में उनकी जाति रावत ही अंकित की हुई है। जो भूमि बाद में रजिस्टर्ड बयनामा से डालचन्द के नाम दर्ज करवाई गई उनमें उसकी जाति एक में कोली तथा एक में रावत दर्ज करवाई गई है। खास बात यह है, कि डालचन्द द्वारा इन तीनों भूमियों को अपना बताया गया किन्तु किसी भी भूमि पर अपनी जाति के विरोधाभास के बाबत कभी कोई तथ्य प्रस्तुत किये न अंकित जाति के गलत होने पर आक्षेप ही किया। अप्रार्थी 2 के वारिसान द्वारा रावत समाज विकास समिति कोटा रजि. प्रमाण पत्र दि० 18.12.[illegible] Ex.7A, बाबूलाल S/O डालचन्द Ex 9A बनाम S/O डालचन्द, जाति प्रमाण पत्र जारी द्वारा तहसीलदार लाडपुरा 28/8/05, Ex 8A. दिनांक 24.9.09 सागर S/O बलराम रावत, Ex10 नंदकुमार S/O चौथमल रावत लाडपुरा, [illegible]/18 Ex 2A बलराम S/O डालचन्द रावत समाज का प्रमाण पत्र दि. 22.8.15, बनाम श्री सदस्यता शुल्क रसीद दि.12.5.18 की है तथा सम्मान पत्र दि. 22.8.19 की है सावित्री माला मेरिट की लीड 16.10.2020 की प्रस्तुत P.A. है। इस प्रकार समस्त दस्तावेजात के साथ अप्रार्थी नम्बर 2 के पुत्र/पौत्रों के नाम पर जारी जाति प्रमाण पत्र भी रावत जाति उपखण्ड अधिकारी [illegible] क्रमशः 14	

के बनवाये गये हैं, उनके सम्बन्ध में तहसीलदार लाड़पुरा द्वारा प्रार्थी नं. 2 के का. मु. बनाम के विरुद्ध धारा 420, 120 I.P.C. के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है, जो सिविल न्यायालय कोटा में जेरकार है। इस प्रकार प्रार्थी नम्बर 2 के का० मु०/वारिसान का रावल जाति का होना संदेह से परे नहीं है।

साथ ही साथ अन्य दस्तावेज व साक्ष्य रावल समिति के सदस्य, प्रशंसा पत्र, सदस्यता रसीद, आदि न्यायालय में केस दर्ज होने के उपरान्त की घटनाओं से उत्पन्न या जोड़कर बनाये साक्ष्य हैं, जिन्हें उनसे पुराने साक्ष्य जिन्हें किसी प्रकार की चुनौति नहीं दी गई हो, और राजकीय दस्तावेज हो, तथा विश्वसनीय हो उन पर तरजीह दिया जाना उचित नहीं है।

जाति प्रमाण पत्र नगर निगम की रिपोर्ट / पटवारी रिपोर्ट व शपथ-पत्रों के आधार पर बनाये जाते हैं। जाति की रिपोर्ट का आधार राजस्व अभिलेख होता है। राजस्व रिकार्ड में जाति का अंकन आवंटन एवं खरीद कर नाम भूमि पर होता है। इस प्रकार खरीदते समय क्रेता की जाति कोई व्यक्ति कुछ भी अंकित करवा

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज (15)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सकता है। रजिस्ट्री पंजीबद्ध होते उप पंजीयक का क्रेता की जाति प्रमाणित नहीं करता है। रजिस्ट्री के माध्यम से अर्जित नामान्तरकरण भूमि क्रेता के नाम दर्ज हो जाती है। इस प्रकार जो जाति राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है उसी आधार पर सामान्यतः जाति की रिपोर्ट दी जाती है। परन्तु आवंटन मजमे आम में होता है, जिस पर मजमे आम में निर्णय आदि होते है। आवंटन से प्राप्त भूमि भी डालकालाल के नाम दर्ज है, तथा खरीदी हुई भी। आवंटन के मार्फत प्राप्त भूमि का रिकार्ड सबसे पुराना तथा विवाद रहित है तथा बकाया पर जाति गलत दर्ज करवाना प्रतीत होता है, तथा बकाया जाति के अंकन विवादित है, इस कारण विवादित साक्ष्य को गैर विवादित साक्ष्य पर तरजीह नहीं दी जा सकती। प्रकरण में एक खास पहलू यह भी है, कि डालकालाल जी, उसके भाई की जाति आज भी राजस्व रिकार्ड में राव दर्ज है। डालकालाल के नाम से जारी एक भी अनु० जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी क्रमशः 16	

जाति जन्म से होती है, अर्थात पिता जिस जाति का हो उसका पुत्र उसी जाति का होगा।

प्रकरण में आकाशान की जाति राव है, तो उसके पुत्र या पौत्र रावल किस प्रकार हो सकते हैं।

प्रकरण में यह तय किया जाने में कोई संदेह नहीं है, कि आकाशान की जाति "राव" है, तथा राव S.C. में नहीं आते हैं। राजस्थान राजपत्र 6 अगस्त 1994 की क्रम सं. 2 पर राव जाति पिछड़े वर्ग की सूची में है। विक्रेता हेसाबाई जाति से S.C. में आती है यह प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं. 1 दोनों तरफ से स्वीकृत तथ्य है। अप्रार्थी नं० 2 भी अप्रार्थी नम्बर 1 को S.C. वर्ग की सदस्य होने का स्वीकार करते हैं।

अतः यह तनकी इसी प्रकार तय की जाती है।

<u>तनकी नम्बर 2(1) :—</u> इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर था। प्रार्थी द्वारा तनकी नम्बर 6 में वर्णित साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। प्रदर्श-2 नकल जमाबंदी ग्राम आनावें खाता नं. 16 से प्रमाणित है, कि ख० नं० 4×6 रकबा 9

अन्य भूमियों सहित मु० हेसाबाई पुत्री हीरा जात चमार के नाम पर दर्ज है। इस प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

क्रमशः 17

नम्बर व तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कैलाबाई की जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती थी भाकालाल की जाति राव है। क्योंकि भाकालाल द्वारा दो बार भिन्न-2 जाति से पुत्रि प्रेम की थी परन्तु उक्त रजिस्ट्री बयनामे के आधार पर था पुत्रि प्रेम की उसी अनुसार रिकार्ड में प्रस्तुत पुत्रि पर जाति दर्ज कर दी गयी। इस प्रकार अन्य नाम जाति से पुत्रि प्रेम कर लेने से जाति परिवर्तन नही होता है। हम विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी नम्बर 1 के इन कथनों से सहमत है, कि जाति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी नं.1 द्वारा A.I.R. 1990 सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील नं. 479/1986 की नजीर प्रस्तुत की हमने सम्मान सहित उक्त दृष्टान्त का अवलोकन किया। उक्त दृष्टान्त में अंकित है कि "the court cannot assume Jurisdiction and enter into an enquiry to determine whether the three terms indicated in the presidential order include Deshi." इस प्रकार यह पूर्व में ही तय है, कि अप्रार्थी भाकालाल की जाति राव है। तथा उसके बाद उसके पुत्र या पौत्र के द्वारा बनवाये गये रावल जाति के दस्तावेज संदेहास्पद है।	

उपखण्ड अधिकारी

क्रमशः 18

प्रकरण में ऐसा अर्थात अप्रार्थी नम्बर 2 के अनुसूचित जाति में होने के कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये थे डाकालाल के वारिसान द्वारा अपने रावल जाति में होने के प्रमाण न्यायालय में दर्ज घटनाक्रम के बाद के है, जबकि राजस्व रिकार्ड में डाकालाल तथा उसका भाई राव दर्ज चले आ रहे थे।

राजस्व अभिलेख जमाबंदी है, जिन पर धारा 140 L.R.Act 1956 के अनुसार सत्य होने की अवधारणा है, किन्तु प्रकरण में बनाया जमाबंदी के अंकन का आधार रजिस्टर सेल डीड है, जिसे चुनौति दी जा रही थी, अर्थात जाति के अंकन को चुनौति दी जा रही थी।

प्रकरण में डाकालाल का कथन है, कि वह गूजरों का राव है, मगर इस बाबत कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया कि वह गूजर जाति का राव हो तथा उसकी जाति रावल हो।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तथा साक्ष्य से अप्रार्थी डाकालाल की जाति राव प्रकट होती है, जिसकी ताईद स्वयं अप्रार्थी नम्बर 1 कैलाबाई व तदुपरान्त उसके विधिक वारिसान द्वारा की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

हस्ता/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (19)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इस प्रकार प्रकरण में यह तय है, कि प्रकरण वर्णित भूमि विवाद रहित अवस्था में कैलाबाई जो अनुसूचित जाति की सदस्य है, उसकी भूमि रही है, जिसे 1992 में प्रकरण वर्णित रजिस्टर्ड बयनामे के द्वारा अप्रार्थी प्रकाशलाल राव को बेचान किया गया था।	
	धारा 42 R.t.Act 1955 में ऐसे बेचान प्रतिबंधित होकर प्रारम्भ से ही शून्य की श्रेणी में आते हैं। प्रकरण में अप्रार्थी नं० 2 द्वारा गलत जाति लिखा कर धारा 42 की मूल भावना को पराजित करने का कृत्य किया है। अप्रार्थी नं० 1 व 2 के मध्य हुये खरीद बेचान से धारा 42 R.t.Act 1955 का उल्लंघन होना प्रमाणित है।	
	अतः यह तनकी बहक वादी/प्रार्थी तय की जाती है।	
	तनकी नम्बर 2:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रार्थी/वादी पर था। तनकी नम्बर 6 व 1 के विवेचन अनुसार यह तनकी बहक प्रार्थी/वादी तय की जाती है।	
	तनकी नम्बर 3:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रार्थी/वादी पर था। तनकी	
	क्रमशः 20	

1,2, व 6 के विवेचन तथा विश्लेषण के आधार पर यह तय है, कि प्रकरण में धारा 42 R.T. Act का उल्लंघन कर बैनामा किया गया है।

R.R.D. 1977 पेज 217 DB. कल्लू राम बनाम आंगनलाल में माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, कि "Revenue court may set aside the illegal sale, as such transfer is governed by section 38 & 41 read with section 42 & 43. Both the Parties are liable to ejectment under section 175 in case of illegal Transfar."

इस प्रकार अप्रार्थी नम्बर 1 के यह तर्क मान्य नहीं हैं, कि "विक्रेता द्वारा मजबूरी में खाता ज्ञाति को भूमि बेचान कर दी तथा बयनामा शून्य है, अतः कब्जा विक्रेता को दिया जावें।" अप्रार्थी नम्बर 1 द्वारा उद्धृत नजीर DNJ. 2012 पेज 768 इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती।

अप्रार्थी नम्बर 1 के कथन धारा 175 की मूल भावना, अक्षरशः पठन तथा विधायिका की मंशा के विपरीत है।

धारा 42 के उल्लंघन कर किये गये बेचान पर क्रेता तथा विक्रेता दोनों को बेदखल किये जाने के प्रावधान होने से इस प्रकरण में भी धारा 42 का उल्लंघन होने से दोनों ही अप्रार्थी तदुपरान्त उक्त खातेदार भूमि धारण करने के हकदार नहीं रहते है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

क्रमशः 21

अतः उपर्युक्त विवेचनाओं पर यह तनकी बेहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 4:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार अप्रार्थी नम्बर 2 पर था। अप्रार्थी नम्बर 2 द्वारा पूर्व वर्णित साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। अप्रार्थी नम्बर 2 डालचन्द की जाति राव है, जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आती थी उसके द्वारा एक बार ढोली तथा एक बार रावल जाति से शिक्षा क्रम का रिकार्ड में नाम अवश्य दर्ज करवाया किन्तु इस प्रकार जाति परिवर्तन नहीं होती। इन दस्तावेज के अलावा डालचन्द के वारिसान के द्वारा जो रावल जाति के दस्तावेज प्रस्तुत किये वो न्यायालय सिविल कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत होने के बाद के हैं, तथा उनके रावल जाति के होने के क्रम में प्रमाण पत्रों के बाबत 420, 120 I.P.C. का मुकदमा जेरकार है, जिससे उनके पक्ष में जारी रावल जाति के प्रमाण पत्र संदेहास्पद है। इसके विपरीत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेज अप्रार्थी नम्बर 2 डालचन्द की जाति "राव" होना प्रमाणित करते हैं, तथा उक्त दस्तावेज काफी पुराने होने से संदेहास्पद नहीं होने से उन्हें तरजीह देना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
[stamp]

क्रमशः 22

अप्रार्थी नम्बर 2 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य कि अप्रार्थी नम्बर 2 डालूलाल का अनुसूचित जाति का होना प्रमाणित नहीं है।

अन्य विवेचन एवं तनकियात अनुसार प्रकरण में R.T. Act 1955 की धारा 42 का उल्लंघन होना पाया जाता है।

अतः यह तनकी खिलाफ अप्रार्थीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 5:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार अप्रार्थी नम्बर 2 पर था। प्रकरण में यह निर्विवाद तय है, कि गैसवारे अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थी डालूलाल को सन् 1992 में भूमि का बेचान किया गया। प्रकरण में उक्त बयनामें के विरुद्ध न्यायालय में 01.01.2008 को कार्यवाही संस्थित की गई। इस प्रकार बयनामें के उपरान्त कुल 16 वर्ष बाद कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी। राजस्थान राजपत्र भाग 4(क) दिनांक 5.10.1981 के द्वारा इस कार्यवाही की मियाद 30 वर्ष नियत की हुई है।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र/वाद का मियाद बाहर होना प्रमाणित नहीं है।

अतः यह तनकी खिलाफ अप्रार्थीगण बहक प्रार्थी तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तनकी नम्बर 7 :— तनकी नम्बर 1 से 7 के विवेचन, विश्लेषण एवं विनिश्चय के आधार पर यह तय है, कि प्रकरण में अनु० जाति के व्यक्ति के द्वारा गैर अनु० जाति के व्यक्ति को भूमि बेचान किया गया है। प्रकरण में धारा 42 R.t. Act का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है। अप्रार्थी नं० 1 के यह कथन मान्य नहीं है, कि उसने भूमि मजबूरी में बेचान की है, तथा विक्रय पत्र के प्रभाव शून्य होने की अवस्था में भूमि का कब्जा उसे दिलाया जावे।

प्रकरण में R.R.D. 1995 पेज 102 स्टेट बनाम गमना में माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, कि " Neither the transferor nor the transferee should be permitted to Retain its possission. but the land should revert to the state "

इस प्रकार भूमि को न तो अप्रार्थी नं० 1 को सौंपा जा सकता और न ही अप्रार्थी 2 या तदुपरान्त कायम मुकामान को।

भूमि का कब्जा सरकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रकरण के हुनावजुआ पर सम्यक् विचारोपरान्त हम प्रा० पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है, कि ग्राम अलाई की भूमि आराजी नम्बर

उपखण्ड अधिकारी

क्रमश 24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (24)
	मि॰ ४५६ (रकबा १२१)₂ को सिवाय चक संख्या दर्ज किया जाकर कब्जे राज लिया जावे तदनुसार डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली की निष्पत्ति में गणना की जाकर बाद तामील तरमीम दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया। (दयाल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी [illegible]

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे ~~अव्वल दर्जे~~

(आर्डर 20, रूल 6–7, ज़ाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'–1)

अदालत— उपखण्ड अधिकारी —मुकाम— रामगंजमण्डी

इजलास— देशल दान (I.A.S.)

राजस्थान सरकार —बनाम— 4 कस्तूर बाई वगै०

2008
00006

दावा बाबत— 175 R.T. Act 1955

मुकद्दमा नं.— 05 —सन्— 2013

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू— मुझ देशल दान (I.A.S.)

बहाजरी— पटवार सरकार —मिनजानिब मुद्दई व ~~श्री R.C. मालवीय एड.~~ श्री S.B. माहेश्वरी एड.

—मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

प्रा० पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम आलोद की कृषि आराजी नम्बर मि. 6576 (रकबा 9.81)$_{2}$ को सिवाय चक सरकार दर्ज किया जाकर कब्जे राज लिया जावे।

चीज— X —मुबालिग— X —बाबत— X

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह— X —फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक— X —को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख— 15 —माह— 02 — ~~200~~ 2021

को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत— उपखण्ड अधिकारी
ओहदा— रामगंजमण्डी

मुद्दई		रुपया	पै.	मुद्दायलाह		रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील पर	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुक्मनामा	....		
बाबत इजराय हुक्मनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक	....			मीजान	...	—	—
मीजान	....	—	—				

नोट—इस सर्वे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करे।

रा. मु. भो. 139-2006-1,00,000 फार्म

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी